न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर

पीठासीन अधिकारीः विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या — 119/2015 अपील (RCMS/2015/00055)
पंजीयन दिनांक — 01.09.2015
निर्णय दिनांक — 03.03.2020

1. श्री जगदीश कुमावत मुतबन्ना रूपलाल कुमावत, प्राकृतिक पिता मोतीलाल कुमावत, निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।

—अपीलार्थी

बनाम

1. श्रीमती ओमाबाई बेवा रूपलाल कुमावत, निवासी, घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।
2. अनु उर्फ नर्बदा पिता रूपलाल कुमावत, पत्नि श्री गोपाल कुमावत निवासी घोसुण्डा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ हाल गांव खेरी, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़।

—प्रत्यर्थी

उपस्थितिः—
1. श्री नरेश जणवा—2 — वकील रेस्पोडेंट संख्या—1

प्रकरण संख्या—12/2012, अनु उर्फ नर्बदा बनाम श्रीमती ओमाबाई व अन्य में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (केम्प कोर्ट घोसुण्डा) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा—76 भू—राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 03.03.2020

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ (केम्प कोर्ट घोसुण्डा) द्वारा प्रकरण संख्या—12/2012, अनु उर्फ नर्बदा बनाम श्रीमती ओमाबाई व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 के विरुद्ध पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है—

- ग्राम पंचायत घोसुण्डा, चित्तौड़गढ़ द्वारा नामान्तरकरण संख्या—72 दिनांक 20.04.1989 को पारित किया गया।

- उक्त नामान्तरकरण के विरूद्व रेस्पोडेंट संख्या—2 अनु उर्फ नर्बदा द्वारा एक अपील अन्तर्गत धारा—75 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मृतक डालचन्द के पिता वेणीराम के विरासत

का नामान्तरकरण पटवारी ने अनु उर्फ नर्बदा एवं श्रीमती ओमाबाई के नाम भरकर पंचायत में पेश किया, परन्तु पंचायत द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कर, गौद जैसे जटिल प्रश्नों का निर्धारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में न होने के बाद भी, बिना जांच कर अनु उर्फ नर्मदा का नाम हटा कर श्री जगदीश का नाम जोड़ कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। जिसे निरस्त फरमाया जाकर मृतक डालचन्द के विरासत में मृतक के बजाय अनु उर्फ नर्बदा पिता रूपलाल व श्रीमती औमाबाई बेवा रूपलाल का नाम अंकित किया जावें।

- उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत कैंप कोर्ट घोसूण्डा में रखा गया और अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ पारित नामान्तरकरण संख्या–72 को निरस्त कर एवं प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित कर निर्णय दिनांक 05.06.2015 पारित किया कि

  ''पत्रावली के अवलोकन से ग्राम घोसुण्डा के नामान्तकरण संख्या 72 दिनांक 17.04.1989 को दर्ज किया जाकर ग्राम पंचायत घोसुण्डा द्वारा दिनांक 27.04.1989 को निर्णत किया गया। पटवार हल्का द्वारा मृतक डालचन्द पिता वेणीराम कुमावत विरासत नामान्तरकरण के कॉलम संख्या 9 में मोतीलाल टीपू, लक्ष्मण पिता डालचन्द, ओमाबाई पत्नि रूपलाल, नर्बदा पुत्री ओमाबाई नर्बदा नाबालिग बविलायत माता खुद ओमाबाई के नाम प्रस्तावित किये किन्तु ग्राम पंचायत के निर्णय अनुसार जगदीश को गोदपुत्र रखा जाकर नर्बदा का नाम हटाया जाता है, निर्णय किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक की पुत्री का नाम हटा दिया। मृतक की पुत्री प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है। जिसका नाम हटाया जाना न्यायोचित नहीं है तथा रेस्पाडेंट संख्या–2 का नाम गोदपुत्र के रूप में जोडा गया है। इस बिन्दु पर भी कोई जांच की जाना रिपोर्ट पटवारी एवं भू–अभिलेख वृत घोसुण्डा से स्पष्ट नहीं होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियम के विपरित मृतक की पुत्री का नाम हटाया है। जिससे उक्त नामान्तरकरण निरस्त योग्य पाया जाता है। तथा रेस्पोडेंट संख्या गोदपुत्र है या नहीं। इसका निर्धारण भी वैधानिक रूप से नियमानुसार किया जाना अपेक्षित है। जिससे नियमानुसार नामान्तरकरण निरस्त योग्य है।

  अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत घोसुण्डा का नामान्तरकरण संख्या 72 निर्णय के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत घोसुण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24.07.1989 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मृतक के वैधानिक वारिसान की पूर्ण जांच कर एवं उभय पक्ष को सुनवाई का पूर्ण अवसर देकर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।''

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय 02.06.2017 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में दिनांक 27.08.2015 को अपील प्रस्तुत की गई। यह अपील दर्ज रजिस्टर दिनांक 01.09.2015 कर

रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 उपस्थित जिनकी एकतरफा बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट एवं वकील रेस्पोडेंट–1 को निर्णय से पूर्ण लिखित बहस प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, लिखित बहस दिनांक 13.01.2020 को प्राप्त। प्रकरण में दिनांक 03.03.2020 को वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 की मजीद बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने लिखित बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत अपील 23 वर्ष बाद प्रस्तुत की जिसको मानने में विधिक भूल की है। रेस्पोडेंट संख्या–2 अगर कोई हक व अधिकार रखती है तो उसे नियमित वाद प्रस्तुत करना था जो नहीं किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण संख्या–72 स्वीकृत करने से पर्याप्त जांच पड़ताल की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बहस हेतु निर्धारित पेशी दिनांक 29.06.2015 से पूर्व ही अपीलान्ट के परोक्ष जाकर दिनांक 05.06.2015 को प्रकरण का निस्तारण करते हुए प्रश्नगत निर्णय पारित किया गया जो विधि सम्मत नहीं है। रेस्पाडेंट ओमाबाई की सहमति के अनुसार ही उक्त नामान्तरकरण खुला इसलिए ओमाबाई द्वारा अनु के साथ अपीलान्ट बनकर अपील प्रस्तुत नहीं की गई। सन् 201 में आपसी सहमति से स्वयं अपीलान्ट अनु की जानकारी में ओमाबाई के कृषि आराजीयात का विभाजन कराया गया परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इन सारे महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विचारा किए बिना ही इंतकाल निरस्त करने का आदेश पारित करने में भारी भूल की है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जावें।

विद्वान वकील रेस्पोडेंट संख्या–2 ने बहस में प्रस्तुत किया है कि मृतक डालचन्द का पुत्र रूपलाल है, जो डालचन्द के जीवनकाल में ही फौत हो गया। अनु उर्फ नर्बदा मृतक रूपलाल की पुत्री एवं श्रीमती ओमाबाई उसकी पत्नि है। इन दोनों के अलावा रूपलाल का कोई अन्य वारिस नहीं है। मृतक डालचन्द के पिता वेणीराम के विरासत का नामान्तरकरण पटवारी ने अनु उर्फ नर्बदा एवं श्रीमती ओमाबाई के नाम भरकर पंचायत में पेश किया, परन्तु पंचायत द्वारा बिना सुनवाई का अवसर प्रदान कर, गौद जैसे जटिल प्रश्नों का निर्धारण नामान्तरकरण जैसी संक्षिप्त कार्यवाही में न होने के बाद भी, बिना जांच कर अनु उर्फ नर्मदा का नाम हटा कर श्री जगदीश का नाम जोड़ कर नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। श्री जगदीश का उनके परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं है, रूपलाल द्वारा कभी उसको गोद नहीं लिया है, श्री जगदीश रूपलाल के सगे भाई मोतीलाल का लड़का है। ऐसी स्थिति में पारित नामान्तरकरण पूर्णतया त्रुटिपूर्ण था जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि सम्मत जांच कर एवं तथ्यों की पूर्ण विवेचना करते हुए स्वीकार की और नामान्तरकरण संख्या–72 को निरस्त करने का निर्णय पारित किया गया। पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 पूर्णतया विधि सम्मत होने से प्रश्नगत अपील अस्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावें।

हमने उपस्थित अधिवक्ताआ की बहस, प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं प्रकट विभिन्न तथ्यों का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से यह निर्विवादित तथ्य प्रकट होता है कि अर्नु उर्फ नर्बदा मृतक रूपलाल की पुत्री है और श्री ओमाबाई उसकी पत्नि है, जो उसके विधिक वारिसान है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह माना है कि ग्राम पंचायत द्वारा श्री जगदीश के गोदपुत्र होने के सम्बन्ध में कोई जांच किया जाना स्पष्ट नहीं हैं एवं नियम के विपरित जाकर मृतक की पुत्री का नाम हटाया गया है। राजस्व सम्बन्धित प्रविष्ठियॉ जैसे कि नामान्तकरण कोई हित व स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है, सम्पत्ति में ना ही उत्तराधिकार का कठिन विवाद्यक वसीयत या गोद द्वारा नामान्तरकरण कार्यवाहियों में निश्चय किया जा सकता है और पक्षकारों को स्वामित्व के लिये उचित संस्थान में जाना होगा। अपीलार्थी द्वारा कभी भी सम्बन्धित अधिकारी एवं न्यायालय हाजा समक्ष गोदनामा प्रस्तुत किया। न ही यह प्रतीत होता है कि नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय ग्राम पंचायत के सम्बन्धित अधिकारी के समय कोई पंजीकृत गोदनामा प्रस्तुत किया गया हो। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पारित नामान्तरकरण विधि सम्मत नहीं प्रतीत होता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को कभी भी चुनौती दी जा सकती है और ऐसे प्रकरणों में मयाद को उपशमन किया जाना औचित्यपूर्ण होता है। साथ ही अपीलार्थी अपने कथनों को दस्तावेजी साक्ष्यों से सफल बनाने में असमर्थ रहा है।

उपरोक्त यह स्पष्ट होता है कि श्री जगदीश का गोदपुत्र होना विवादित है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में गोद के विवादित प्रश्न का विनिश्चियन नहीं किया जा सकता है। एक जब किसी का गोदपुत्र होना प्रश्नगत कर दिया गया है तो फिर गोदपुत्र होने का दावा करने वाले व्यक्ति के पास एक ही रास्ता है कि वह सक्षम न्यायालय मे अपने आपको गोदपुत्र घोषित करावें। यह भी उचित है कि अपीलान्ट यदि गोद के आधार पर अपना हक चाहता है तो उसे अपने अधिकारों की घोषणा सक्षम न्यायालय में करवानी चाहिए। इस प्रकार की घोषणा के अभाव में उपखण्ड अधिकारी द्वारा जो निर्णय दिनांक 05.06.2015, जिससे नामान्तरकरण संख्या–72 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया है, सर्वथा उचित एवं विधि सम्मत है। उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय एवं उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.06.2015 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास सीतारामजी भाले)
संभागीय आयुक्त, उदयपुर